अध्याय-III

निगमित अभिशासन

अध्याय-III

निगमित अभिशासन

यह अध्याय सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों द्वारा निगमित अभिशासन के सिद्धांतों के पालन से सम्बन्धित है, जिसमें निदेशक बोर्ड की बैठकों के आयोजन, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशकों की नियुक्ति, तथा निदेशक बोर्ड एवं उसके अधीन गठित समितियों की बैठकों में उनकी उपस्थिति से सम्बन्धित विषय सम्मिलित हैं।

प्रस्तावना

3.1 निगमित अभिशासन, नीतियों, प्रक्रियाओं एवं लोगों को सम्मिलित करने वाली एक आंतरिक प्रणाली है, जो प्रबंधकीय कार्यकलापों को निर्देशित एवं नियंत्रित कर शेयरधारकों तथा अन्य पणधारियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। किसी संगठन का निगमित अभिशासन ढाँचा चार स्तंभों यथा पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटीकरण, स्वतंत्र अनुश्रवण तथा सभी के लिए निष्पक्षता पर निर्भर करता है। निगमित अभिशासन के सिद्धांतों का पालन व्यवसाय में जवाबदेही एवं पारदर्शिता लाता है तथा पणधारियों का विश्वास बढ़ाता है।

निगमित अभिशासन के सम्बन्ध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान

3.2 कंपनी अधिनियम, 2013 को 29 अगस्त 2013 को कंपनी अधिनियम, 1956 के स्थान पर अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता, तथा बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियाँ पर कंपनी नियम, 2014 को भी अधिसूचित (31 मार्च 2014) किया। कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी नियम, 2014 के साथ मिलकर निगमित अभिशासन के लिए एक सुदृढ़ ढाँचा प्रदान करता है। आवश्यकताएँ अन्य बातों के साथ-साथ निम्न का प्रावधान करते हैं:

- प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई का स्वतंत्र निदेशकों के रूप में अनिवार्य नियुक्ति, तथा सार्वजनिक कंपनियों के किसी वर्ग या वर्गों की दशा में केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अधीन निर्धारित ऐसी अन्य न्यूनतम संख्या।
- स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यता, साथ ही कर्तव्य तथा पेशेवर आचरण के लिए दिशानिर्देश [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) व (8) एवं अनुसूची IV, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित]।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के अधीन विहित की गयी कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्गों के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति।

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 177(1), 178(1), एवं 178(5) के अधीन लेखापरीक्षा समिति, नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति, तथा पणधारी सम्बन्ध समिति जैसी कुछ समितियों की अनिवार्य स्थापना।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) के अधीन निदेशक बोर्ड की प्रत्येक वर्ष न्यूनतम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित करना कि बोर्ड की दो क्रमवर्ती बैठकों के मध्य 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो।

निगमित अभिशासन पर सेबी के दिशानिर्देश

3.3 सेबी ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 को अधिसूचित (2 सितम्बर 2015) किया, जो पूर्व के प्रावधानों को निरस्त करते हुए 1 दिसम्बर 2015 से प्रभावी हुआ।

उत्तर प्रदेश में सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन कोई भी सरकारी कंपनी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, अतः, निगमित अभिशासन पर सेबी के दिशानिर्देश[1] उन पर लागू नहीं होते हैं।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.4 वर्ष 2022-23 के दौरान 66 क्रियाशील एसपीएसई[2] (47 सरकारी कंपनी तथा 19 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी) द्वारा निगमित अभिशासन के सम्बन्ध में कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014, तथा कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

निदेशक बोर्ड की संरचना

3.5 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(10) के अनुसार, किसी कंपनी के सम्बन्ध में 'निदेशक बोर्ड' या 'बोर्ड' का अभिप्राय कंपनी के निदेशकों की सामूहिक निकाय से है। निदेशक बोर्ड की संरचना में कमियों पर चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक

3.6 बोर्ड में, प्रबंधन के निर्णयों पर स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने में सक्षम स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को व्यापक रूप से शेयरधारकों तथा अन्य पणधारियों के हितों की रक्षा का एक साधन माना जाता है। कंपनी

---

[1] कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के पश्चात्, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्धता अनुबंध के क्लॉज 49 में संशोधन (अप्रैल और सितम्बर 2014) किया ताकि इसे कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट निगमित अभिशासन प्रावधानों के साथ संरेखित किया जा सके।

[2] छः क्रियाशील एसपीएसई, सांविधिक निगम हैं, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान एवं सम्बन्धित नियम उन पर लागू नहीं होते हैं।

अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के अनुसार, किसी कंपनी के सम्बन्ध में एक स्वतंत्र निदेशक का अभिप्राय प्रबंध निदेशक, या पूर्णकालिक निदेशक, या नामनिर्देशित निदेशक से भिन्न एक ऐसे निदेशक से है, जो एक सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति है और जिसके पास सुसंगत विशेषज्ञता एवं अनुभव है। यह अग्रेतर प्रावधानित करती है कि स्वतंत्र निदेशक न तो स्वयं संप्रवर्तक होगा और न ही कंपनी या उसकी नियंत्री, सहायक या सहयुक्त कंपनी के संप्रवर्तकों/निदेशकों से सम्बन्धित होगा। स्वतंत्र निदेशक का स्वयं का अथवा उसके नातेदार का कंपनी, या उसकी सहायक, या उसकी नियंत्री, या सहयुक्त कंपनी के साथ मौद्रिक सीमाओं से परे और निर्धारित अवधि के दौरान कोई धनीय सम्बन्ध/लेनदेन (स्वतंत्र निदेशक के पारिश्रमिक के अतिरिक्त) नहीं होगा। स्वतंत्र निदेशक स्वयं या उसके नातेदार निर्धारित समयावधि के दौरान कंपनी, या उसकी नियंत्री, या उसकी सहायक, या सहयुक्त कंपनी के साथ कोई प्रमुख प्रबंधकीय पद अथवा कोई अन्य विहित सम्बन्ध, अर्थात् कर्मचारी, लेखापरीक्षक, कंपनी सचिव, आदि, धारण नहीं करेंगा।

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 का नियम 4 यह प्रावधानित करता है कि सार्वजनिक कंपनियाँ जिनके पास: (i) दस करोड़ रुपए या उससे अधिक की समादत्त शेयर पूँजी; अथवा (ii) एक सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक का टर्नओवर; अथवा (iii) कुल मिलाकर बकाया ऋण, डिबेंचर और डिपाजिट, पचास करोड़ रुपए से अधिक है, को कम से कम दो निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक के रूप में रखना आवश्यक है। यदि कोई कंपनी लगातार तीन वर्षों तक उपरोक्त तीन शर्तों में से किसी को भी पूर्ण करना समाप्त कर देती है तो उसे तब तक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वह इनमें से किसी भी शर्त को पूर्ण करना आरम्भ कर देती है। अग्रेतर, असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की तीन श्रेणियों, अर्थात् संयुक्त उद्यम, या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक, या निष्क्रिय कंपनी को भी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

66 क्रियाशील एसपीएसई (छः सांविधिक निगमों को छोड़कर) में से 32 एसपीएसई[3], जैसा कि **परिशिष्ट 3.1** में वर्णित है, नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की अंतिम तिथि को या तो समादत्त शेयर पूँजी, या टर्नओवर, या बकाया ऋण, डिबेंचर और डिपाजिट के उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करते हैं। अतः, वर्ष 2022-23 के दौरान इन एसपीएसई को अपने निदेशक बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक[4] रखना आवश्यक था। वर्ष 2022-23 के दौरान इन एसपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों की स्थिति **चार्ट 3.1** में दर्शायी गयी है।

---

[3] एसपीएसई द्वारा इस कार्यालय को 30 सितम्बर 2023 तक अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर।

[4] चूँकि, कोई भी एसपीएसई किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी, इसलिए किसी भी एसपीएसई को अपने कुल निदेशकों का एक तिहाई स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी।

चार्ट 3.1: एसपीएसई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की स्थिति

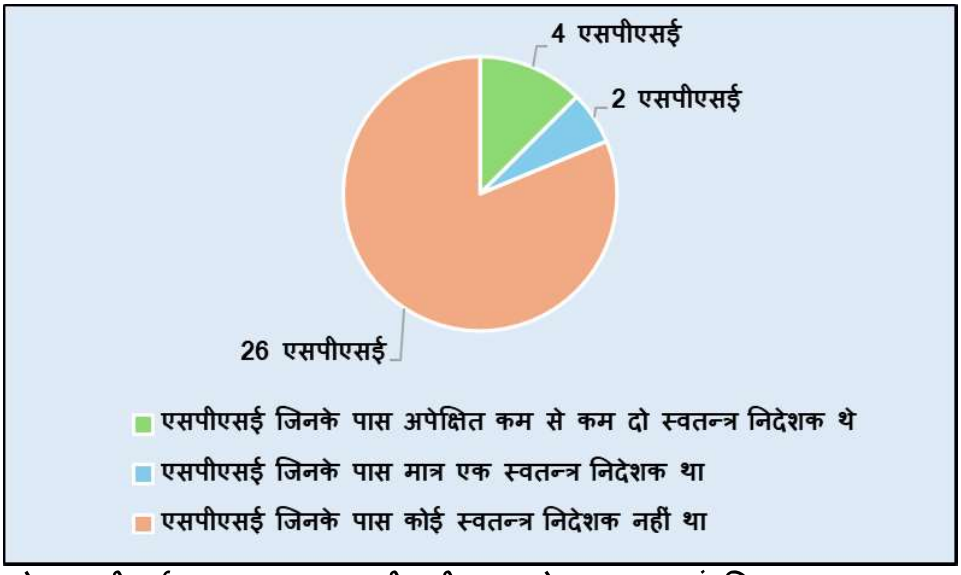

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

चार्ट 3.1 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान जिन 32 एसपीएसई को अपने बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक रखने थे, उनमें से 26 एसपीएसई (81 प्रतिशत) के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था तथा दो एसपीएसई (6 प्रतिशत) के बोर्ड में मात्र एक स्वतंत्र निदेशक था। इस प्रकार, मात्र चार एसपीएसई (13 प्रतिशत) ने अपने बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक रखने की आवश्यकता का अनुपालन किया था।

बोर्ड में महिला निदेशक

3.7 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1), कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित, यह प्रावधानित करती है कि निम्नलिखित वर्ग की कंपनियों के निदेशक बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक होगी:

i. प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी;

ii. प्रत्येक ऐसी अन्य सार्वजनिक कंपनी जिसके पास -

क. एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक की समादत्त शेयर पूँजी; या

ख. तीन सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर हो।

अग्रेतर, किसी महिला निदेशक के आंतरायिक रिक्त पद को बोर्ड द्वारा यथाशीघ्र, परन्तु अगली बोर्ड बैठक अथवा रिक्त पद की तिथि से तीन माह के अंदर, जो भी बाद में हो से पहले, भरा जाना था।

66 क्रियाशील एसपीएसई में से 31 एसपीएसई, जैसा कि **परिशिष्ट 3.1** में वर्णित है, अपने नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की अंतिम तिथि को या तो समादत्त शेयर पूँजी या टर्नओवर के उपरोक्त मानदण्डों को पूर्ण करते थे। अतः, इन एसपीएसई को वर्ष 2022-23 के दौरान अपने निदेशक बोर्ड में

कम से कम एक महिला निदेशक रखना आवश्यक था। वर्ष 2022-23 में इन 31 एसपीएसई में से मात्र 16 एसपीएसई के निदेशक बोर्ड में पूरे वर्ष के दौरान कम से कम एक महिला निदेशक थी। अग्रेतर, वर्ष 2022-23 के दौरान 10 एसपीएसई के निदेशक बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी, और पाँच एसपीएसई के पास वर्ष 2022-23 के मात्र कुछ भाग के लिए कम से कम एक महिला निदेशक थी, जैसा कि **तालिका 3.1** में वर्णित है।

तालिका 3.1: वर्ष 2022-23 की पूर्ण/आंशिक अवधि के दौरान बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक नहीं रखने वाले एसपीएसई का विवरण

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम
एसपीएसई जिनके पास वर्ष 2022-23 के दौरान कोई महिला निदेशक नहीं थी	
1.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड
2.	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
3.	यू.पी. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
4.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड
5.	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड
6.	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड
7.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड
9.	उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एसपीएसई जिनके पास वर्ष 2022-23 के कुछ भाग के लिए कम से कम एक महिला निदेशक थी	
11.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
12.	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
13.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
14.	दी प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड
15.	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

इस प्रकार, 15 एसपीएसई (48 प्रतिशत) ने अपने निदेशक बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था।

निदेशक बोर्ड की बैठकें

3.8 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) यह प्रवधानित करती है कि प्रत्येक कंपनी अपने निगमन की तिथि से तीस दिनों के अंदर निदेशक बोर्ड की पहली बैठक आयोजित करेगी और उसके बाद प्रत्येक वर्ष अपने निदेशक बोर्ड की न्यूनतम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित करेगी कि बोर्ड की दो क्रमवर्ती बैठकों के मध्य एक सौ बीस दिनों से अधिक का अंतराल न हो।

वर्ष 2022-23 के दौरान 66 एसपीएसई में से 35 एसपीएसई, जैसा कि **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है, ने अपने निदेशक बोर्ड की आवश्यक चार

बैठकें आयोजित नहीं की। वर्ष 2022-23 के दौरान इन 35 एसपीएसई में से नौ एसपीएसई ने अपने निदेशक बोर्ड की मात्र एक बैठक आयोजित की, तथा 12 एसपीएसई ने कोई बैठक आयोजित नहीं की।

अग्रेतर, वर्ष 2022-23 के दौरान जिन 31 एसपीएसई ने निदेशक बोर्ड की आवश्यक संख्या में बैठकें आयोजित की थीं, उनमें से पाँच एसपीएसई के प्रकरण में निदेशक बोर्ड की दो बैठकों के मध्य की अवधि 120 दिनों की विहित की गयी समय सीमा से अधिक थी, जैसा कि **तालिका 3.2** में वर्णित है।

तालिका 3.2: बोर्ड की बैठकों का विवरण जहाँ दो क्रमवर्ती बैठकों के मध्य की अंतराल अवधि विहित की गयी 120 दिनों की समय सीमा से अधिक थी

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	बैठक की तिथि	अगली बैठक की तिथि	अंतराल अवधि (दिनों में)
1.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	18.07.2022	21.12.2022	156
2.	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	07.11.2022	21.03.2023	134
3.	यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	03.10.2022	27.02.2023	147
4.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	24.09.2022	21.03.2023	178
5.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	24.09.2022	21.03.2023	178

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(3) यह प्रावधानित करती है कि बोर्ड की बैठक, प्रत्येक निदेशक को कंपनी में पंजीकृत उसके पते पर, कम से कम सात दिन की लिखित सूचना देकर बुलायी जाएगी और ऐसी सूचना हाथ से, डाक से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी।

सूचना तथा बैठकों की तिथि की समीक्षा से यह प्रकट हुआ कि सात एसपीएसई ने अपने निदेशक बोर्ड की 15 बैठकें कम अवधि का नोटिस देकर आयोजित कीं, जैसा कि **तालिका 3.3** में वर्णित है।

तालिका 3.3: कम अवधि की सूचना देने के पश्चात् आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	सूचना की तिथि	बोर्ड बैठक की तिथि
1.	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	27.09.2022	30.09.2022
		20.01.2023	25.01.2023
2.	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	26.05.2022	31.05.2022
		19.09.2022	22.09.2022
		28.10.2022	28.10.2022
		21.02.2023	23.02.2023
3.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	28.01.2023	02.02.2023
4.	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	28.10.2022	01.11.2022
5.	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	07.04.2022	13.04.2022

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	सूचना की तिथि	बोर्ड बैठक की तिथि
6.	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	18.08.2022	23.08.2022
		13.02.2023	20.02.2023
7.	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	18.06.2022	22.06.2022
		11.08.2022	17.08.2022
		27.08.2022	29.08.2022
		21.11.2022	23.11.2022

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

निदेशक बोर्ड की समितियाँ

3.9 बोर्ड समिति, बोर्ड के कार्य में सहयोग करने के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा गठित एक छोटा कार्य समूह है, जिसमें चयनित बोर्ड सदस्य सम्मिलित होते हैं। बोर्ड समितियों का गठन सामान्यतः विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को संभालने के लिए किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनियों को विभिन्न बोर्ड समितियों, जैसे लेखापरीक्षा समिति, नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति, पणधारी सम्बन्ध समिति, आदि, का गठन करने हेतु अधिदेशित करता है।

लेखापरीक्षा ने एसपीएसई में इन समितियों के गठन एवं कार्य पद्धति की जाँच की। परिणामों पर चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

लेखापरीक्षा समिति

3.10 लेखापरीक्षा समिति किसी भी कंपनी में निगमित अभिशासन तंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है। इसका उद्देश्य कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं एवं कार्य पद्धति, तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की प्रमाणिकता में विश्वास बढ़ाना है। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा समिति के गठन तथा कार्य पद्धति में कई कमियाँ देखीं, जिनकी चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

(i) लेखापरीक्षा समिति का गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1), कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित, यह प्रावधानित करती है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी तथा कंपनियों के निम्नलिखित वर्गों (संयुक्त उद्यम, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक तथा निष्क्रिय कंपनी को छोड़कर) का निदेशक बोर्ड, एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करेगा:

(i) दस करोड़ रुपये या उससे अधिक की समादत्त पूँजी वाली सभी सार्वजनिक कंपनियाँ;

(ii) सभी सार्वजनिक कंपनियाँ जिनका टर्नओवर एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है;

(iii) सभी सार्वजनिक कंपनियाँ जिनके पास कुल मिलाकर पचास करोड़ रुपये या उससे अधिक का बकाया ऋण, या उधार, या डिबेंचर, या डिपाजिट है।

वर्ष 2022-23 के दौरान 66 एसपीएसई में से 32 एसपीएसई, जैसा कि **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है, में लेखापरीक्षा समिति की आवश्यकता थी। इन 32 एसपीएसई में से 21 एसपीएसई के पास लेखापरीक्षा समिति थी, जबकि वर्ष 2022-23 के दौरान 11 एसपीएसई के पास लेखापरीक्षा समिति नहीं थी, जैसा कि **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: एसपीएसई जिनके पास वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति नहीं थी

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम
1.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड
2.	यू.पी. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
3.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
5.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड
6.	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड
7.	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड
8.	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
9.	उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड
11.	उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं वित्त विकास निगम लिमिटेड ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था, परन्तु, वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

(ii) लेखापरीक्षा समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) यह प्रावधानित करती है कि लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक होंगे, जिसमें स्वतंत्र निदेशक बहुमत में होंगे। अग्रेतर, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष सहित अधिकांश सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो वित्तीय विवरणों को पढ़ने तथा समझने में सक्षम होंगे।

21 एसपीएसई में गठित लेखापरीक्षा समितियों के विश्लेषण से पता चला कि मात्र तीन एसपीएसई[5] के प्रकरण में लेखापरीक्षा समिति की संरचना कंपनी

[5] डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड, आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, तथा वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार थी। शेष 18 एसपीएसई में लेखापरीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी, जैसा कि **तालिका 3.5** में वर्णित है।

तालिका 3.5: लेखापरीक्षा समिति की संरचना के सम्बन्ध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले एसपीएसई का विवरण

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
2.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
3.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
4.	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
5.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
6.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
7.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
8.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
9.	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत नहीं था
10.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
11.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत नहीं था
12.	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
13.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
14.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
15.	यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
16.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
17.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था
18.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति

3.11 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1), कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित, यह प्रावधानित करती है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और कंपनियों के निम्नलिखित वर्गों का निदेशक बोर्ड एक नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति

(एनआरसी) का गठन करेगा, जिसमें तीन या अधिक गैर-कार्यपालक निदेशक सम्मिलित होंगे, जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे:

(i) दस करोड़ रुपये या उससे अधिक की समादत्त पूँजी वाली सभी सार्वजनिक कंपनियाँ;

(ii) सभी सार्वजनिक कंपनियाँ जिनका टर्नओवर एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है;

(iii) सभी सार्वजनिक कंपनियाँ जिनके पास कुल मिलाकर पचास करोड़ रुपये या उससे अधिक का बकाया ऋण, या उधार, या डिबेंचर, या डिपाजिट है।

वर्ष 2022-23 के दौरान 66 एसपीएसई में से 32 एसपीएसई, जैसा कि **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है, में एनआरसी की आवश्यकता थी। वर्ष 2022-23 के दौरान इन 32 एसपीएसई में से मात्र चार एसपीएसई[6] ने एनआरसी का गठन किया था। वर्ष 2022-23 के दौरान शेष 28 एसपीएसई में एनआरसी नहीं था जैसा कि **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका 3.6: एसपीएसई जिन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया था

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम
1.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड
2.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3.	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड
5.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
6.	यू.पी. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
7.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड
9.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड
10.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
11.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड
12.	उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड
13.	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड
14.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
15.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
16.	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड
17.	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड
18.	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
19.	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड
20.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
21.	उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
22.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड
23.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

[6] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, तथा डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड।

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम
24.	यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
25.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड
26.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड
27.	उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
28.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

अग्रेतर, जिन चार एसपीएसई ने एनआरसी का गठन किया था, उनमें से एक एसपीएसई, अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में एनआरसी की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

3.12 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) यह प्रावधानित करती है कि प्रत्येक कंपनी, जिसका पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान नेट वर्थ ₹ 500 करोड़ या अधिक है, अथवा टर्नओवर ₹ 1,000 करोड़ या अधिक है, अथवा शुद्ध लाभ ₹ पाँच करोड़ या अधिक है, बोर्ड की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन करेगी, जो तीन या अधिक निदेशकों से मिलकर बनेगी, जिसमें कम से कम एक निदेशक, स्वतंत्र निदेशक होगा। यह अग्रेतर प्रावधानित करती है कि जहाँ किसी कंपनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ उसकी सीएसआर समिति में दो या अधिक निदेशक होंगे।

अग्रेतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) यह प्रावधानित करती है कि जहाँ किसी कंपनी द्वारा अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में व्यय की जाने वाली धनराशि ₹ 50 लाख से अधिक नहीं है, वहाँ सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता लागू नहीं होगी और ऐसी दशा में ऐसी समिति के कार्यों का निर्वहन ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

66 क्रियाशील एसपीएसई में से छः एसपीएसई को सीएसआर समिति गठित करना आवश्यक था। वर्ष 2022-23 के दौरान सभी छः एसपीएसई ने सीएसआर समिति का गठन किया। इन छः एसपीएसई के अतिरिक्त, तीन अन्य एसपीएसई ने भी ऐसा करने के लिए अधिदेशित न होने के बावजूद सीएसआर समिति का गठन किया। सभी नौ एसपीएसई की सीएसआर समितियों में कम से कम तीन निदेशक थे। यद्यपि, वर्ष 2022-23 के दौरान इनमें से सात एसपीएसई[7] ने अपनी सीएसआर समितियों में एक स्वतंत्र निदेशक रखने की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया।

[7] एक एसपीएसई, अर्थात्, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी सीएसआर समिति में एक स्वतंत्र निदेशक (जो 21 मार्च 2023 तक बने रहे) नियुक्त किया था तथा एक एसपीएसई, अर्थात्, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक थी।

पणधारी सम्बन्ध समिति

3.13 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) यह प्रावधानित करती है कि ऐसी कंपनी का निदेशक बोर्ड, जिसके पास किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय पर एक हजार से अधिक शेयर धारक, डिबेंचर धारक, डिपाजिट धारक, तथा कोई अन्य प्रतिभूति धारक हों, एक पणधारी सम्बन्ध समिति का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष, जो गैर-कार्यपालक निदेशक होगा, तथा उतने अन्य सदस्य होंगे, जितने बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाएं। अग्रेतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(6) यह प्रावधानित करती है पणधारी सम्बन्ध समिति, कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार करेगी और उनका समाधान करेगी।

वर्ष 2022-23 के दौरान 66 एसपीएसई में से मात्र एक एसपीएसई अर्थात् उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पणधारी सम्बन्ध समिति रखने की आवश्यकता थी, क्योंकि इसमें एक हजार से अधिक डिबेंचर धारक थे। यद्यपि, वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पणधारी सम्बन्ध समिति का गठन नहीं किया।

सचेतक तंत्र

3.14 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9), कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित, यह प्रावधानित करती है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा निम्नलिखित वर्ग या वर्गों में सम्मिलित कंपनियाँ अपने निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए उनकी वास्तविक चिंताओं या शिकायतों को सूचित करने के लिए एक सचेतक तंत्र स्थापित करेगी:

(क) कंपनियाँ जो जनता से डिपाजिट स्वीकार करती हैं;

(ख) कंपनियाँ जिन्होंने बैंकों तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से ₹ 50 करोड़ से अधिक का ऋण लिया है।

यह अग्रेतर प्रावधानित करती है कि जिन कंपनियों को लेखापरीक्षा समिति गठित करने की आवश्यकता है, वे लेखापरीक्षा समिति के माध्यम से सचेतक तंत्र का निरीक्षण कर सकते है।

वर्ष 2022-23 के दौरान 66 एसपीएसई में से 12 एसपीएसई को अपने निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए सचेतक तंत्र स्थापित करना आवश्यक था, क्योंकि उन्होंने बैंकों तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से ₹ 50 करोड़ से अधिक का ऋण लिया था। वर्ष 2022-23 के दौरान दो एसपीएसई[8] को छोड़कर, शेष सभी एसपीएसई के पास सचेतक तंत्र के निरीक्षण के लिए एक लेखापरीक्षा समिति थी।

[8] उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्य पद्धति

3.15 लेखापरीक्षा ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्य पद्धति में कई कमियाँ देखीं, जिनकी चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

नियुक्ति के औपचारिक पत्र का निर्गमन तथा शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदन

3.16 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित की जाएगी। अग्रेतर, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को नियुक्ति पत्र, जिसमें नियुक्ति की अवधि और अन्य विहित शर्तें तय की जाएंगी, के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाएगा।

वर्ष 2022-23 के दौरान जिन छः एसपीएसई के निदेशक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक थे, उनमें से तीन एसपीएसई[9] ने शेयरधारकों की बैठक में ऐसी नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। अग्रेतर, एक एसपीएसई, अर्थात् कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति की शर्तों वाला औपचारिक पत्र भी निर्गत नहीं किया था।

बोर्ड तथा बोर्ड समितियों की बैठकों में भाग लेना

3.17 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV [प्रस्तर (iii)(3)] यह प्रावधानित करती है कि स्वतंत्र निदेशक, निदेशक बोर्ड तथा बोर्ड समितियों, जिनके वह सदस्य हैं, की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करेंगे।

वर्ष 2022-23 के दौरान जिन छः एसपीएसई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक थे, उनके सम्बन्ध में निदेशक बोर्ड तथा बोर्ड समितियों की बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों के भाग लेने की स्थिति पर नीचे चर्चा की गई है:

अ. निदेशक बोर्ड की बैठकें

वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित निदेशक बोर्ड की बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों के भाग लेने की स्थिति **तालिका 3.7** में दी गयी है।

तालिका 3.7: बोर्ड की बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों के भाग लेने की स्थिति

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया	सभी स्वतंत्र निदेशकों द्वारा भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत
1.	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	1	3	2	67
2.	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	2	5	4	80
3.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	4	3	75

[9] उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, तथा डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड।

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया	सभी स्वतंत्र निदेशकों द्वारा भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत
4.	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2	2	1	50
5.	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2	5	4	80
6.	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2	5	3	60
योग			**24**	**17**	

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

तालिका 3.7 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित निदेशक बोर्ड की 24 बैठकों में से मात्र 17 बैठकों (71 प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

ब. बोर्ड समितियों की बैठकें

(i) लेखापरीक्षा समिति:

जिन 21 एसपीएसई ने लेखापरीक्षा समिति गठित की थी, उनमें से पाँच एसपीएसई में स्वतंत्र निदेशक उनकी लेखापरीक्षा समिति के सदस्य थे, जैसा कि **प्रस्तर 3.10** में चर्चा की गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समितियों की सभी बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया, जैसा कि **तालिका 3.8** में वर्णित है।

तालिका 3.8: लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों के भाग लेने की स्थिति

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	बैठक की तिथि	लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	बैठक में भाग लेने वाले स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
1.	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	19.01.2023	1	1
2.	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	13.04.2022	2	2
		16.09.2022	2	2
		17.02.2023	2	2
		15.03.2023	2	2
3.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19.05.2022	1	1
		07.10.2022	1	1
		16.03.2023	1	1
4.	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	25.06.2022	2	2
		23.08.2022	2	2
		07.10.2022	2	2
		20.01.2023	2	2
5.	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	28.04.2022	2	2
		07.06.2022	2	2
		30.07.2022	2	2
		31.03.2023	2	2

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

(ii) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति:

वर्ष 2022-23 के दौरान नौ एसपीएसई ने सीएसआर समितियाँ गठित की थी। यद्यपि, मात्र एक एसपीएसई, अर्थात्, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को सम्मिलित किया था। एक अन्य एसपीएसई, अर्थात्, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक थी। स्वतंत्र निदेशकों ने वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की सभी बैठकों में भाग लिया।

कंपनी के साधारण अधिवेशनों में भाग लेना

3.18 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV [प्रस्तर (III)(5)] यह प्रावधानित करती है कि स्वतंत्र निदेशक कंपनी के साधारण अधिवेशनों में भाग लेने का प्रयास करेंगे।

वर्ष 2022-23 के दौरान जिन छः एसपीएसई के निदेशक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक थे, उनमें से चार एसपीएसई के प्रकरण में, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित वार्षिक साधारण अधिवेशन (एजीएम) में भाग लिया। वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित एजीएम में स्वतंत्र निदेशकों के भाग लेने की स्थिति **तालिका 3.9** में दी गयी है।

तालिका 3.9: वार्षिक साधारण अधिवेशन में स्वतंत्र निदेशकों के भाग लेने की स्थिति

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	एजीएम की तिथि	निदेशक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	एजीएम में भाग लेने वाले स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
1.	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	29.08.2023	1	1
2.	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	03.10.2023	2	2
3.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01.10.2022	1	1
4.	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	27.12.2022	2	0
5.	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	30.09.2022	2	1
6.	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	20.12.2022	2	2

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

तालिका 3.9 से यह देखा जा सकता है कि वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एक स्वतंत्र निदेशक तथा कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के दोनों स्वतंत्र निदेशकों ने वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित एजीएम में भाग नहीं लिया।

स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें आयोजित करना

3.19 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV [प्रस्तर (VII)(1)] यह प्रावधानित करती है कि किसी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक, वर्ष में गैर-स्वतंत्र निदेशकों तथा प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना कम से कम एक बैठक आयोजित करेंगे। अग्रेतर, कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठक में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। बैठक में - (अ) गैर-स्वतंत्र निदेशकों तथा समग्र रूप से बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी; (ब) कार्यपालक निदेशकों तथा गैर-कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी; एवं (स) कंपनी प्रबंधन तथा बोर्ड के मध्य सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा व समयबद्धता का आकलन किया जाएगा, जो बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से निभाने के लिए आवश्यक है।

वर्ष 2022-23 के दौरान जिन छः एसपीएसई के निदेशक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक थे, उनमें से चार एसपीएसई में, एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक थे। वर्ष 2022-23 के दौरान इन चार एसपीएसई के स्वतंत्र निदेशकों को गैर-स्वतंत्र निदेशकों तथा प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना कम से कम एक बैठक आयोजित करनी थी। वर्ष 2022-23 के दौरान इन चार एसपीएसई के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा आयोजित पृथक बैठकों की स्थिति **तालिका 3.10** में दी गयी है।

तालिका 3.10: स्वतंत्र निदेशकों द्वारा आयोजित पृथक बैठकों की स्थिति

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	2022-23 के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	निदेशक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
1.	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	1	2
2.	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	2
3.	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2
4.	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	2

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

वर्ष 2022-23 के दौरान इन चार एसपीएसई में से दो एसपीएसई के स्वतंत्र निदेशकों ने उक्त बैठक आयोजित नहीं की। स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक न होने के कारण गैर-स्वतंत्र निदेशकों, कंपनी के अध्यक्ष तथा समग्र रूप से बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा नहीं हो पाई। अग्रेतर, कंपनी प्रबंधन तथा बोर्ड के मध्य सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा व समयबद्धता का आकलन भी नहीं किया जा सका।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति

3.20 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(1), कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित, यह

प्रावधानित करती है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी जिसकी समादत्त शेयर पूँजी ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक है, में निम्नलिखित पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) होंगे:

(i) प्रबंध निदेशक (एमडी), या मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), या प्रबंधक, और उनकी अनुपस्थिति में पूर्णकालिक निदेशक;

(ii) कंपनी सचिव (सीएस); तथा

(iii) मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)।

अग्रेतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(4) यह प्रावधानित करती है कि यदि किसी पूर्णकालिक केएमपी का पद रिक्त होता है, तो परिणामी रिक्ति को ऐसी रिक्ति की तिथि से छः माह की अवधि के अन्दर बोर्ड की बैठक में बोर्ड द्वारा भरा जाएगा।

66 एसपीएसई में से 36 एसपीएसई, जैसा कि **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है, को पूर्णकालिक केएमपी नियुक्त करना आवश्यक था, क्योंकि इन एसपीएसई की समादत्त पूँजी उनके नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार ₹ 10 करोड़ या अधिक थी। वर्ष 2022-23 के दौरान इन 36 एसपीएसई में से, 21 एसपीएसई ने पूर्णकालिक केएमपी नियुक्त किए थे। शेष 15 एसपीएसई ने अपेक्षित केएमपी नियुक्त नहीं किए थे, जैसा कि **तालिका 3.11** में वर्णित है।

तालिका 3.11: प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति की स्थिति

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	केएमपी की नियुक्ति में कमियों की स्थिति
1.	उत्तर प्रदेश राज्य हैण्डलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सीएफओ नियुक्त नहीं किया गया
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड	कोई केएमपी नियुक्त नहीं किया गया
3.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	सीएस नियुक्त नहीं किया गया
4.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	सीएस नियुक्त नहीं किया गया
5.	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	सीएस दिनांक 28.01.2023 से नियुक्त किया गया
6.	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	सीएस दिनांक 07.11.2022 से नियुक्त किया गया
7.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	सीएस नियुक्त नहीं किया गया
		सीएफओ दिनांक 22.12.2022 से नियुक्त किया गया
8.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सीएस दिनांक 31.01.2023 से नियुक्त किया गया
9.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	सीएस नियुक्त नहीं किया गया
10.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सीएस नियुक्त नहीं किया गया
11.	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	सीएफओ नियुक्त नहीं किया गया
12.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	सीएफओ दिनांक 22.12.2022 से नियुक्त नहीं किया गया

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	केएमपी की नियुक्ति में कमियों की स्थिति
13.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	सीएस नियुक्त नहीं किया गया
14.	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	सीएफओ नियुक्त नहीं किया गया
15.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	सीएस नियुक्त नहीं किया गया

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

आंतरिक लेखापरीक्षा की रूपरेखा

3.21 द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा निर्गत (नवम्बर 2018) आंतरिक लेखापरीक्षा को अभिशासित करने वाली रुपरेखा, आंतरिक लेखापरीक्षा को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

'आंतरिक लेखापरीक्षा, अभिशासन को बढ़ाने और संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता पर एक स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करता है।'

तदनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका एक स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करना है कि संगठन का जोखिम प्रबंधन, अभिशासन, तथा आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं प्रभावी रूप से परिचालित हो रही है।

एसपीएसई में आंतरिक लेखापरीक्षा

3.22 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138(1), कंपनी (लेखा) नियम, 2014[10] के नियम 13 के साथ पठित, यह प्रावधानित करती है कि कंपनियों के निम्नलिखित वर्गों को एक आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त करना होगा, जो या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, या कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, या ऐसा कोई अन्य पेशेवर होगा जिसे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो, ताकि कंपनी के कार्य तथा कार्यकलापों का आंतरिक लेखापरीक्षा किया जा सके:

(क) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी;

(ख) प्रत्येक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जिसके पास -

(i) ₹ 50 करोड़ या अधिक की समादत्त शेयर पूँजी हो; या

(ii) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 200 करोड़ या अधिक का टर्नओवर हो; या

(iii) बैंकों अथवा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से ₹ 100 करोड़ या अधिक का बकाया ऋण या उधार हो; या

(iv) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ₹ 25 करोड़ या उससे अधिक के बकाया डिपाजिट हो।

(ग) प्रत्येक निजी कंपनी जिसके पास -

(i) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 200 करोड़ या अधिक का टर्नओवर हो; या

[10] समय-समय पर यथासंशोधित।

(ii) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों अथवा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से ₹ 100 करोड़ या अधिक का बकाया ऋण या उधार हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 38 एसपीएसई, जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है, को वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त करना आवश्यक था। इन 38 एसपीएसई में से आठ एसपीएसई ने वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त नहीं किया। शेष 30 एसपीएसई, जहाँ आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किए गए थे, में से 28 एसपीएसई में आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट फर्मों द्वारा की गई थी, तथा दो एसपीएसई[11] में सम्बन्धित एसपीएसई की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा की गई थी।

निष्कर्ष

एसपीएसई में निगमित अभिशासन ढांचे के कार्य करने में कई कमियाँ पाई गईं, जो नीचे वर्णित है:

- **जिन 32 एसपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी थी, उनमें से 26 एसपीएसई ने कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया, तथा दो एसपीएसई में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई। छः एसपीएसई, जिन्होंने स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए थे, में बोर्ड की बैठकों में उनकी उपस्थिति 50 और 80 प्रतिशत के मध्य रही।**
- **वर्ष 2022-23 के दौरान 31 एसपीएसई, जिनके लिए बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक को रखना आवश्यक था, में से 16 एसपीएसई के निदेशक बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक थी, जबकि पाँच एसपीएसई में वर्ष के कुछ भाग के लिए एक महिला निदेशक थी तथा 10 एसपीएसई में वर्ष भर निदेशक बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।**
- **दो एसपीएसई, जहाँ एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए थे, में स्वतंत्र निदेशकों की अनिवार्य पृथक बैठक आयोजित नहीं की गई।**
- **वर्ष 2022-23 के दौरान 36 एसपीएसई, जिन्हें पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नियुक्त करना आवश्यक था, में से 21 एसपीएसई ने पूर्णकालिक केएमपी की नियुक्ति की थी।**
- **वर्ष 2022-23 के दौरान 66 एसपीएसई में से (सांविधिक निगमों को छोड़कर), 35 एसपीएसई ने आवश्यक चार बोर्ड बैठकें आयोजित नहीं कीं। वर्ष 2022-23 के दौरान इन 35 एसपीएसई में से, 12 एसपीएसई ने कोई बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की, तथा वर्ष 2022-23 के दौरान नौ एसपीएसई ने मात्र एक बोर्ड बैठक आयोजित की। अग्रेतर, पाँच एसपीएसई में, दो क्रमवर्ती बोर्ड बैठकों के मध्य का अंतराल 134 से 178 दिनों के मध्य था, जो 120 दिनों की विहित की गयी समय सीमा से अधिक थी।**

[11] उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड तथा उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड।

- **वर्ष 2022-23 के दौरान 32 एसपीएसई, जिनके लिए लेखापरीक्षा समिति रखना आवश्यक था, में से 21 एसपीएसई ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया। इन 21 एसपीएसई में से 18 एसपीएसई में लेखापरीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।**
- **28 एसपीएसई में नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन नहीं किया गया था, तथा एक एसपीएसई में एनआरसी की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।**
- **38 एसपीएसई, जिनके लिए वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त करना आवश्यक था, में से 30 एसपीएसई ने कंपनी अधिनियम के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया।**

संस्तुति

उत्तर प्रदेश सरकार, एसपीएसई को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करने का निर्देश दे सकती है, जिससे एसपीएसई में निगमित अभिशासन ढांचे के कार्य करने में प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।